

सं. 48: राज्य सरकारों द्वारा किए गये निवेश

(₹ करोड़)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	मार्च 2025 के अंत तक			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	नीलामी खजाना बिल (एटीबी)
	1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	11771	1160	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	2799	7	0	1800
3	असम	7506	92	0	0
4	बिहार	12683	-	0	15500
5	छत्तीसगढ़	8364	973	0	5495
6	गोवा	1096	465	0	0
7	गुजरात	15525	678	0	2500
8	हरियाणा	2654	1735	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	0	0
10	जम्मू और कश्मीर संघ शासित प्रदेश	37	36	0	0
11	झारखंड	2444	-	0	780
12	कर्नाटक	20601	762	0	50177
13	केरल	3278	-	0	0
14	मध्य प्रदेश	-	1296	0	1500
15	महाराष्ट्र	72941	2187	0	0
16	मणिपुर	70	143	0	0
17	मेघालय	1295	110	0	0
18	मिज़ोरम	513	81	0	0
19	नगालैंड	1924	47	0	0
20	उड़ीसा	18582	2081	0	4258
21	पुदुचेरी	590	-	0	1650
22	पंजाब	9285	0	0	0
23	राजस्थान	1822	-	0	7750
24	तमिलनाडु	3494	-	0	2137
25	तेलंगाना	8032	1761	0	0
26	त्रिपुरा	1339	30	0	0
27	उत्तरप्रदेश	5392	262	0	0
28	उत्तराखंड	12825	1590	0	0
29	पश्चिम बंगाल	14052	1051	0	3000
	कुल	240916	16548	0	96546

टिप्पणियाँ: 1. सीएसएफ और जीआरएफ कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी गई आरक्षित निधियां हैं।
2. एटीबी में प्राथमिक बाजार में राज्य सरकारों द्वारा निवेश किए गए 91 दिनों, 182 दिनों और 364 दिनों के खजाना बिल शामिल हैं।
3. - : लागू नहीं (योजना का सदस्य नहीं)।